फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

किशन बनाम रामनाथ

प्रकरण संख्या :– 99/2014 /2022

उवा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	05/1/24	पत्रावली पेश हुयी। प्रतिवादी अधिवक्ता 2/1 की ओर से प्रार्थना-पत्र बाबत् वादी का वाद अबेट किए जाने हेतु पेश किया गया। प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। वास्ते आदेश दिनांक 24/1/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला– जयपुर
	24/1/24.	पत्रावली पेश हुयी। प्रतिवादी अधि० 2/1 की ओर से अधि० उपस्थित। प्रतिवादी सं० 2/1 की ओर से पेश प्रार्थना-पत्र वादी का वाद अबेट किए जाने के सम्बन्ध में प्रार्थी को गत तारीख पेशी पर सुना जा चुका है। दौराने बहस जाहिर तथ्यों एवं पत्रावली मय दस्तावेज के गहन अवलोकन से हम पाते हैं कि

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला– जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

किशन बनाम रामनाथ

प्रकरण संख्या :– 99/2014/2022

उवा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र से स्पष्ट है कि उनवानी प्रकरण में वादी की मृत्यु की सूचना दिनांक 30/06/2023 को प्रार्थी द्वारा दिए जाने के उपरान्त भी तय-मियाद में कायम-मुकाम कार्यवाही नहीं हुयी। चूंकि वादी अधिवक्ता की जिम्मेदारी थी कि एकमात्र वादी की मृत्यु उपरान्त आदेश 22 नियम 3. अन्तर्गत सिविल प्राक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार विहित परिसीमा अवधि में वादी के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया जाता। परन्तु वादी अधिवक्ता द्वारा सूचना उपरान्त भी तय मियाद में कायम-मुकाम न्यायालय में पेश नहीं किया गया। दौराने बहस प्रतिवादी अधि० ने बताया कि प्रतिवादी सं० 1	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

किशन बनाम रामनाथ

प्रकरण संख्या :- 91/2022

आदेश
आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		की मृत्यु हो गयी है और प्रतिवादी सं. 1 व 2/1 की ओर से पेश काउंटर क्लेम पत्रावली के रिकार्ड पर है। प्रतिवादी सं. 2/1, भी वादी एवं प्रतिवादी -1 की मृत्यु की जानकारी के बाद भी तय मियाद में कायम-मुकाम की कार्यवाही करने में विफल रहे हैं। अतः वादी का वाद एवं प्रतिवादी का प्रतिवाद Abatement (उपशमन) के आधार पर खारिज किए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला आज दिनांक 24/1/24 को खुले न्यायालय एवं सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर